

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 13/2023-संघ राज्य कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्टूबर, 2023

सा.का.नि. .... (अ)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 के साथ पठित, संघ राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (3) और (4), धारा 8 की उप धारा (1), धारा 21 के उपवाक्य (iv) और (xxvii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 703 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

इस अधिसूचना में, तालिका में,-

- (1) क्रम संख्या 3क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“3ख	अध्याय 99	इन माध्यमों से किसी सरकारी प्राधिकरण को प्रदान की जाने वाली सेवाएं- (क) जलापूर्ति; (ख) सार्वजनिक स्वास्थ्य; (ग) स्वच्छता संरक्षण; (घ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन; और (ड) मलिन बस्ती सुधार और उन्नयन।	शून्य	शून्य”;

- (2) क्रम संख्या 6 के समक्ष, कॉलम (3) में, खंड (क) में, शब्दों “डाक विभाग” के पश्चात्, शब्दों और कोष्ठक “ [और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)] ” को अंतःस्थापित किया जाएगा;

- (3) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में, स्पष्टीकरण में, खंड (क) में, उप-खंड (i) में, शब्दों “डाक विभाग” के पश्चात्”, शब्दों और कोष्ठक “ [और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)] ” को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (4) क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में, परंतुक में, खंड (i) में, शब्दों “डाक विभाग” के पश्चात्”, शब्दों और कोष्ठक “ [और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)] ” को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (5) क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) में , प्रथम परंतुक में, खंड (i) में, शब्दों “डाक विभाग” के पश्चात्”, शब्दों और कोष्ठक “ [और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)] ” को अंतःस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[फाइल सं. सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ (टीआरयू-II)-सीबीईसी]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 703 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 07/2023-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 18 नवम्बर, 2021, सा.का.नि. 812(अ), दिनांक 18 नवम्बर, 2021 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है ।